उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

विशेष अपील संख्या 225/2019

उत्तराखंड शक्कर और अन्य

..... अपीलकर्ता

बनाम

सुनील कुमार और अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

श्री टी. ए. खान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विनय भट्ट सहायक अधिवक्ता, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता।

श्री शोभित सहारिया, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता-याचिकाकर्ता । को लिखते हैं।

दिनांक 23 अप्रैल, 2019

कोरमः माननीय रमेश रंगनाथन, C.J.

माननीय N.S. धनिक, जे।

रमेश रंगनाथन, सी. जे. (मौखिक)

अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टी. ए. खान और प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान वकील श्री शोभित सहारिया अधिवक्ता-याचिकाकर्ताओं को सुना , और उनकी सहमति से, अपील को प्रवेश के चरण में निपटाया जाता है।

2. प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ताओं ने डब्ल्यू. पी. एस. एस. संख्या 333/2019 दाखिल करके इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान किया, जिसमें प्रतिवादी को निर्देश देने के लिए एक परमादेश की मांग की गई, विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं को समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करना- w.e.f. उनकी नियमित नियुक्ति और उनसे लिए गए उच्च पद के कर्तव्यों के लिए उन्हें मजदूर का वेतन देते हुए ।

3. रिट याचिका को स्वीकार करने के चरण में, और यहां तक कि अपीलकर्ताओं को अपना जवाबी शपथ पत्र दाखिल करने का अवसर दिए बिना भी, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ताओं को मृत्युदंड नियमों से नियुक्त किया था, इसलिए ऐसी नियुक्ति हमेशा नियमित प्रकृति की होती है।

रिट याचिका का निपटारा अपीलार्थियों को पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह और अन्य (2017) 1 एससीसी148। मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में समान वेतन के भुगतान पर विचार करने और उचित निर्णय लेने का निर्देश देने के लिए कहा गया था । अपीलार्थियों को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुति करने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।

4. श्री टी. ए. खान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का प्रस्तुतीकरण है कि यहाँ अपीलार्थियों को रिट याचिका के समर्थन में दायर शपथ पत्र में दिए कथनों का खंडन करते हुए अपना जवाबी हलफनामा दायर करने का अवसर नहीं दिया गया था; और, अपीलार्थियों को इन दलीलों का खंडन करने का अवसर दिए बिना, रिट याचिका को स्वीकार करने के चरण में निपटाया गया था।

5. हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शोभित सहारिया से पूछा कि क्या अपीलार्थियों को अपना जवाबी शपथ पत्र दाखिल करने का अवसर दिया गया था। विद्वान वकील ने उचित रूप से कहा कि, हालांकि उन्हें ऐसा अवसर नहीं दिया था, फिर भी उन्हें सुना था।रिट याचिका 18.02.2019 पर दायर की गई थी और अगले ही दिन अर्थात् 19.02.2019 को विवादित आदेश द्वारा उसका निपटारा कर दिया गया था।अतः यह स्पष्ट है कि अपीलार्थियों को अपना जवाबी शपथ पत्र दाखिल करने के अवसर से वंचित कर दिया गया था।

6. अपील पर आदेश होना चाहिए और तदनुसार, इस छोटे से आधार पर अपास्त किया जा रहा है। रिट याचिका को फाइल करने के लिए बहाल किया जाता है।

7. श्री टी. ए. खान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी आज से दो सप्ताह के भीतर रिट याचिका में अपना जवाबी शपथ पत्र दायर करेंगे।प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शोभित सहारिया के लिए यह खुला है कि वे विद्वान एकल न्यायाधीश से आज से दो सप्ताह के पश्चात किसी भी तिथि को रिट याचिका पर प्रवेश और सुनवाई के लिए विचार करने का अनुरोध करें।

8. तदनुसार, विशेष अपील का निपटारा किया जाता है।कोई लागत नहीं।

9. चूँकि इस आदेश द्वारा विशेष अपील का अंत में निपटारा कर दिया गया है, इसलिए हम अपीलार्थियों से Registry द्वारा बताई गई कमियों को सुधारने की आवश्यकता का कोई कारण नहीं देखते हैं।

(एन. एस. धनिक, जे.) (रमेश रंगनाथन, सी. जे.)

23.04.2019 23.04.2019

शिक्षा